

आदेश की
तिथि

हस्ताक्षरयुक्त आदेश

कार्यालय
अभ्युक्ति

17.11.2023

वाद संख्या-34/2023

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष श्री प्रकाश चन्द्र चन्दन, ग्राम+पो0-औंरा, थाना-बगोदर, जिला-गिरिडीह Telephonic Conference के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह आयोग कार्यालय में उपस्थित।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह आयोग में उपस्थित होकर आयोग के पिछले आदेश का अनुपालन कर दिये जाने की बात कह रहे हैं। जिला आपूर्ति पदाधिकारी सूची और प्रतिवेदन के साथ आयोग में उपस्थित हैं। आयोग सदस्य सचिव, खाद्य आयोग को निर्देश देता है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा समर्पित सूची की एक प्रति शिकायतकर्ता को डाक के माध्यम और वाट्सएप्प के माध्यम से भी भेज दें। आयोग शिकायतकर्ता को निर्देश देता है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन के विरुद्ध अपना लिखित पक्ष आयोग को भेजें। मामले की अगली सुनवाई की तिथि दिनांक-15.12.2023 को निर्धारित की जाती है।

आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक-15.12.2023 को रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।